फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 37/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/41) **श्रीमती कुस्बा जाट व अन्य बनाम श्री हीरालाल कुमावत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सत्यप्रकाश व्यास - वकील अपीलार्थी 2. श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. श्रीमती कुस्बा पत्नि श्री सुरेशचन्द्र जाट, निवासी गरदाना, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़। 2. श्रीमती बगदी बाई पत्नि श्री मदनलाल रेबारी, निवासी तेजपुरा की ढाणी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़। **अपीलार्थी** 1. श्री हीरालाल पिता श्री घासीराम कुमावत, निवासी खोडिप, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का निर्णय दिनांक 12.04.2022, प्रकरण संख्या 49/2022, बउनवानी श्री हीरालाल बनाम श्रीमती कुस्बा बाई वगैरा** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 22.07.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का निर्णय दिनांक 12.04.2022, प्रकरण संख्या 49/2022, बउनवानी श्री हीरालाल बनाम श्रीमती कुस्बा बाई वगैरा, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 एलआर एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि श्री हीरालाल कुमावत की आराजीयात मौजा पगारा प.ह. नन्नाणा में स्थित होकर खा.सं. 68 में अंकित आराजी नम्बर 22 रकबा 0.54 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि के पड़ौस के खातेदारों एवं उनकी भूमि के मध्य कोई सीमा चिन्ह नहीं होन से विवाद की स्थिति रहती है। इसलिए प्रार्थी विवाद से बचने के लिए अपनी आराजी की मुकम्मज पत्थरगढ़ी करा लेना चाहते है, इस हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। • अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए दिनांक 12.04.2022 को निर्णय पारित का वांछित पत्यथगढ़ी के आदेश प्रसारित किये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के उक्त निर्णय दिनांक 12.04.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी (अपीलार्थी-2 की ओर से) संलग्न किया गया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 19.07.2024 को सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है** कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात के आवेदन पर अधीनस्थ	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 37/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/41) **श्रीमती कुस्बा जाट व अन्य बनाम श्री हीरालाल कुमावत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये कथित निर्णय पारित कर दिया। अपीलार्थी-1 द्वारा मौजा पगारा के खाता संख्या 17 आराजी संख्या 253/22 की कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.03.2022 से अपीलार्थी-2 बगदी बाई को हस्तांतरित कर दी, ऐसे में वह भी प्रभावित पक्षकार होने से अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी की पेश की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जावें।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि उक्त निर्णय की पालना में पत्थरगढ़ी की जा चुकी है। अपीलार्थी आदेश की पालना हो जाने से प्रकरण की प्रकृति के अनुरूप यह अपील इन्फ्रक्चुअस/निष्प्रभावी हो चुकी है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष उनके खातेदारी भूमि के सीमाकंन/पत्थरगढ़ी बाबत निवेदन किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा उक्तानुसार निर्णय दिनांक 12.04.2022 पारित कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रसारित किये, उक्त निर्णय से व्यथीत होकर हस्तगत अपील पेश की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का पेश किय गया, जिस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया जाकर अपील पेश किये जाने की इजाजत दी जाती है। दौरान बहस, अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में पत्थरगढ़ी की जा चुकी है, ऐसमें अपील निष्प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 20.06.2022 अनुसार उक्त दिवस पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी आदेश की पालना में नपती प्रारम्भ की गई और पक्षकारान के कब्जें का अंकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी, भदेसर में लम्बित प्रकरण संख्या 52/2022 में पारित स्थगन आदेश की पालना में प्रत्यर्थी-1 को पाबंद भी कराया गया। प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि मौका पर्चा अनुसार की गई पत्थरगढ़ी अनुसार वर्तमान अपील के अपीलार्थी के कोई हक व अधिकार प्रभावित नही होते है। उक्त मौका पर्चा अनुसार अपीलाधीन आदेश की आंशिक रूप से पालना की जा चुकी है, ऐसे में प्रस्तुत अपील इस स्तर पर निष्प्रभावी हो चुकी है। **परिणामतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है, जो उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष लम्बित वाद बाबत खातेदारी घोषणा में पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर